

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 19/20-21(VIII)

अभियुक्ति

आदेश फलक

दिनांक

3/9/2020

वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि:-

मौजा- बेनागाज थाना नं- 181 खाता संख्या- 19 प्लॉट संख्या- 80 रकबा- 12 3/8 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ

खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी

उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 76 पर

जमाबंदी रैयत मैत्राली मैसाइन प्रति परमेश्वर हाकड़ा के नाम से

कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- **मंगामी मेंकाइन पति परमेश्वर डौंसरा**
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
वेनागाजर	181	19	80	12 8/10
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं०-..... 76 मर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है -
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतदार का नाम :- **गौर आवाफ मानिक**
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- **डॉ**
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- **गौर आवाफ**
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिश्चित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूदोबस्ती - **भू-वन्दोबस्ती 13(VIII) 9999-2000** -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) **संघारित पंजी - 2 से अनुसार**,
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

रसीद संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	बंरसूली वर्ष
1	7995735	7.6.2000	2000-01

श्री अजीत कुमार, जौनपुर महोदय

आवेदित श्री मंगामी वेनागाजर थाना सं. 181 खाता 19 प्लॉट सं 80 रकबा 12/10 संघारित गौर आवाफ पंजी के अनुसार डॉर आवाफ खाते से अंकित है। उक्त जमाबंदी के प्राधिकार काल में भू-वन्दोबस्ती 13(VIII) 9999-2000 के तहत 7.6.2000-01 तक लगान रसीद निर्गत डॉर का विवरण दर्ज है। प्रथम हुकुम उक्त जमाबंदी संबंधित प्रतीत होता है।

रक्षक